राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः एफ. 13(6)खा.वि./आवंटन/2019 जयपुर, दिनांकः 07.02.2019

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) अन्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल श्रेणियों को 1/– रूपए प्रति किग्रा. की दर से गेहूँ वितरण योजना

राज्य सरकार के अनुमोदन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) अन्तर्गत 1 जनवरी, 2019 को अन्त्योदय (AAY) के 28 लाख, बीपीएल (BPL) के 29 लाख एवं स्टेट बीपीएल (SBPL) के 1 करोड़ 17 लाख कुल 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों को 01 मार्च, 2019 से 1/– रूपए प्रति किग्रा. की दर से गेहूँ वितरण की नवीन योजना प्रारम्भ की जा रही है।

योजना का क्रियान्वयन ऑनलाईन रीति से सप्लाई चैन मैनेजमेंट व्यवस्था (SCM) द्वारा किया जाएगा।

नवीन योजना अन्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों तथा अन्य लाभार्थियों (PHH Others) को गेहूँ वितरण की दर निम्नानुसार होगी–

गेहूँ आवंटन की श्रेणियाँ (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	1/– रू.
द्वितीय	PHH (Others)	2/– रू.

अन्त्योदय राशन कार्डधारियों को 35 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड एवं बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं पीएचएच (अन्य) को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह पूर्वानुसार खाद्यान्न मात्रा देय होगी।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2/– रू. प्रति किग्रा. के स्थान पर 1/– रू. प्रति किग्रा. की दर से गेहूँ वितरण की अन्तर राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

योजना हेतु विस्तृत गाईडलाइन पृथक से जारी की जा रही है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मातादीन शर्मा)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

क्रमांकः एफ. 13(6)खा.वि. / आवंटन / 2019 जयपुर, दिनांकः07.02.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान।
7. समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राज. रा. खा. एवं ना. आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
10. समस्त अधिकारीगण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग / उपभोक्ता मामले विभाग / विधिक माप विज्ञान विभाग, जयपुर।
11. महाप्रबन्धक (प्रशासन / वित्त / विपणन), रा.रा.खा. एवं ना.आ.निगम, जयपुर।
12. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
13. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक / तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, खाद्य विभाग, जयपुर।
14. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर।
15. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर।
16. रक्षा पत्रावली।

07/02/19

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव